राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–20 / ग्रा0मस्वाका / (सी–248) / 09 /   दिनांकः–

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषय– ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यग्रहण पर लगी रोक हटाने बाबत।

संदर्भः– निदेशालय का पत्रांक–ई–20 / ग्रा0मस्वाका / (सी–248) / 08 / 772 दिनांक–9.6.09

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के संदर्भित पत्र के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस0बी0सि0रि0पि0सं0–1794 / 09 राजेश्वरी देवडा बनाम सरकार व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक–6.3.09 की पालना में ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यग्रहण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई थी, जिसके कारण ग्रामीण म0स्वा0कार्यकर्ता के पद पर चयनित अनेक अभ्यर्थी पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर पाये थे।

मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस0बी0सि0रि0पि0सं0–1757 / 09 श्रीमती यशबाला राठौड व अन्य 127 रिट याचिकाऐं जो ग्रामीण म0स्वा0कार्यकर्ताओं के नियुक्ति के संबंध में थी, निर्णय दिनांक–23.10.09 के द्वारा खारिज कर दी हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0सि0रि0 पि0सं0–1794 / 09 राजेश्वरी देवडा बनाम सरकार को भी खारिज कर दिया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले को आवंटित ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तत्काल कार्यग्रहण कराकर, उनका पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर कर, की गई कार्यवाही से निदेशालय को शीघ्र अवगत कराने का श्रम करें। पूर्व आदेशों के अनुक्रम में ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कार्यग्रहण अवधि दि–20.11.09 तक बढाई जाती है।

ह0
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–ई–20 / ग्रा0मस्वाका / (सी–248) / 09 / 1305   दिनांकः– 29/10/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन–
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय विभाग नेट पर चढाने

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर